प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी...[illegible]व भू.अ. निरिक्षक...[illegible]...तहसील रायपुर

महोदयजी, मुताबिक पंजीयन दस्तावेज विक्रयपत्र के खा.सं. 29 में देवा पि छोगा कुमावत सा था व खा.सं. 27 में देवा पि छोगा कुमावत सा डेह खातेदार है लेकिन वर्तमान के खातेदार खा.सं. 27 व 29 में गणेश गाडरीखेड़ा निवासी है अतः खाता सं. 27 व 29 में देवा पुत्र छोगा कुमावत नि गाडरी खेड़ा दर्ज किया जाना उचित है।

पटवारी 10/10/21 तहसीलदार 11/10/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

राजस्व 11-10-2021

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर के अनुसार सही है। डाचिये

तहसीलदार (भू.अ.) रायपुर भीलवाड़ा 11/10/21

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जि. भीलवाड़ा

क्रमांक/प्रशासन/विक्रय/बागोलिया/21/21 दिनांक 24-10-2021

आदेश

मुताबिक तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट व [illegible] द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर राजस्व ग्राम [illegible] जमाबंदी संवत 2075-76 के ख.सं. 27,29 में किता 1 रकबा 0-4700 में खाते. [illegible] देवा/छोगा 4/4 सा. थला किता 1 रकबा 0-60 सहखातेदार के रूप में अंकन किया जाता है, तदनुसार जिसके बजाय देवा/छोगा सा. [illegible] राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज [illegible] प्रमाणार्थ तहसीलदार रायपुर प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा 24/10/2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:10:10 IST
Reason: SelfAttested